न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान RAS

प्रकरण सं0 : 22/2025

लेखराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र राजू जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा।
2. उप पंजीयक भादरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रतापसिंह - प्रार्थी

वकील श्री पवन सिहाग - अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 30.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 180/21 के खसरा नं0 346 की 6.032 है0 बारानी में प्रार्थी लेखराम के नाम 79/1508 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 202/20 के खसरा संख्या 170, 172, 173, 180 कुल खसरा 4 की 9.030 है0 बारानी में प्रार्थी लेखराम के नाम 2749/30100 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 253/1806 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 जुगलाल अन्य लोगों के बहकावे में आकर वाद कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाए कृषि भूमि में अच्छे किस्म की कृषि भूमि को विक्रय कर अन्य पक्षकार को हस्तांतरित करना चाहता है। यदि बिना विभाजन करवाये बिना अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के के अनुसार खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के अलावा अन्य भी खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य भूमि की काश्त सींव डोल, फसल के बंटवारे को लेकर आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि को बेचान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। वादभूमि के संबंध में अगर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगा। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 180/21 के खसरा नं0 346 की 6.032 है0 बारानी में प्रार्थी लेखराम के नाम 79/1508 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 202/20 के खसरा संख्या 170, 172, 173, 180 कुल खसरा 4 की 9.030 है0 बारानी में प्रार्थी लेखराम के नाम 2749/30100 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 253/1806 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 जुगलाल अन्य लोगों के बहकावे में आकर वाद कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाए भूमि में अच्छे किस्म की कृषि भूमि को विक्रय कर अन्य पक्षकार को हस्तांतरित करना चाहता है। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के अनुसार खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस कर निवेदन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के अलावा अन्य भी खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य भूमि की काश्त सींव डोल, फसल के बंटवारे को लेकर आपस में किसी प्रकार

Scanned with CamScanner

का कोई तनाव नहीं रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि को बेचान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। वादभूमि के संबंध में अगर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगा। अतः जबाव दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु वाद पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चूंकि प्रार्थी का अर्जीदावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें वर्तमान राजस्व रिकार्ड जो पत्रावली में सलंग्न है में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है। सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 किसी विशेष भू भाग को बेचान नहीं कर सकता है। ऐसे में निषेधाज्ञा की बाबत प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। यदि व्यादेश नही दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि के किसी अच्छे भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर सकता है। ऐसे में प्रार्थी को असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी/वादी का उक्त विवादित भूमि का खाता विभाजन हेतु वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वादभूमि रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 180/21 के खसरा नं0 346 की 6.032 है0 बारानी में अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा गढड़ा के खाता संख्या 202/20 के खसरा संख्या 170, 172, 173, 180 कुल खसरा 4 की 9.030 है0 बारानी में अप्रार्थी संख्या 1 जुगलाल के नाम 253/1806 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त सम्पूर्ण वादभूमि को ताफैसला रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल नही करे और मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:54:33 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner